आर. चित्रलेखा बनाम मैसूर राज्य
ए. आई.आर. 1964 एस.सी. 1823

तथ्य

मैसूर सरकार ने तारीख 26 जुलाई, 1963 के अपने आदेश में पिछड़े वर्गों की परिभाषा दी थी और निर्देश दिया था कि उनके लिये व्यावसायिक और तकनीकी संस्थाओं में 30% सीटें आरक्षित की जाएंगी। इसमें यह निर्धारित किया गया कि वर्गीकरण (क)आर्थिक स्थिति और (ख) व्यवसाय और पेशे के आधार पर होना चाहिए। तदनुसार,ऐसे परिवार को जिसकी वार्षिक आय 1,200 रुपये या उससे कम थी ओर ऐसे व्यक्तियों और वर्गों को जो खेती-बाड़ी, छोटा-मोटा व्यवसाय, निकृष्ट सेवाएं, सरकारी या शारीरिक श्रम से संबंधित अन्य काम करते थे, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ माना गया। इस आदेश में जाति को ध्यान में नहीं रखा गया। इसलिये इस पर इस आधार पर आपत्ति की गई। मैसूर उच्च न्यायालय में डी.जी. विश्वनाथ बनाम मैसूर सरकार के मामले में (ए.आई.आर.1964 मैसूर 132) उसी आदेश की वैधता के संबंध में,न्यायमूर्ति हेगड़े ने यह निर्णय दिया कि चूंकि इस आदेश में ''जाति और निवास'' के आधार को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखा गया है, इसलिये यह हिन्दुओं के वस्तुतः पिछड़े वर्गों के लिये हितकर नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने बालाजी के मामले में यह कहा था कि नागरिकों के समुदायों या वर्गों के सामाजिक दृष्टि से पिछड़े होने के बारे में निर्धारण करने के लिये हिन्दुओं के संबंध में जातिसंगत आधार है।

चित्रलेखा के मामले में इस संबंध में उच्चतम न्यायालय को अपील की गई।

विवादक

(i) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा होने के संबंध में निर्धारित करने के लिये जाति की सम्बद्धता क्या है?

(ii) क्या 'जाति' और 'वर्ग' समानार्थक है?

उद्धरण

न्यायमूर्ति सुब्बाराय, (अधिकांश के लिये)

15. उक्त प्रेक्षणों से दो सिद्धांत स्पष्ट रूप से सामने आते हैं; यथा (1) नागरिकों के किसी ग्रुप की जाति, उनके सामाजिक दृष्टि से पिछड़े होने के बारे में अभिनिश्चय करने के लिए एक संगत तथ्य हो सकता है; और (2) नागरिकों के किसी वर्ग के सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा होने के बारे में निर्धारित करने का संगत तथ्य जाति होने पर भी इस संबंध में जाति एकमात्र या प्रमुख कसौटी नहीं हो सकती। उच्च न्यायालय के निर्णय में उदधृत प्रेक्षण इस न्यायालय के प्रेक्षणों के प्रतिकूल प्रतीत होते हैं। इस न्यायालय ने यह कहा कि जाति केवल संगत तथ्य है और नागरिकों में किसी वर्ग के

सरकार को केवल इस आधार पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिये कि जिस वर्ग को एक बार पिछड़ा वर्ग मान लिया गया है वह हमेशा पिछड़ा ही बने रहे। यदि किसी समय किसी वर्ग के वारे में ऐसा प्रतीत हो कि वह प्रगति के उस स्तर पर पहुंच गया है जिससे निश्चित रूप से यह कहा जा सके कि उसे और संरक्षण आवश्यक नहीं है, तो राज्य ऐसे उदाहरणों की उचित समीक्षा करेगा और पिछड़े वर्गों की सूची में उचित रूप से संशोधन करेगा। वस्तुतः इस न्यायालय द्वारा ए आई आर 1971 एस सी 2303 में यह सूचित किया गया कि पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों ने सामान्य पूल में लगभग 50% सीटें प्राप्त की है। इस आधार पर इस न्यायालय ने यह निर्णय नहीं किया था कि पिछड़े वर्गों के लिए किया गया और आरक्षण अवैध है। दूसरी ओर यह निर्णय किया गया:-

> ''यह तथ्य कि सामान्य पूल में पिछड़े वर्गो के उम्मीदवारों ने लगभग 50% सीटें प्राप्त की है, इस बात का द्योतक नहीं है कि इस प्रश्न पर नए सिरे से व्यापक रूप से विचार करने का समय आ गया है। यह स्मरण रहे कि इस संबंध में सरकारी निर्णय न्यायिक समीक्षा के लिए विचाराधीन है।''

ऊपर दिए गए कारणों के आधार पर हमारा यह मत है कि पिछड़े वर्गों की सूची और उक्त सूची मे उल्लिखित व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक कालेजों में 25% सीटों का आरक्षण वैध है और संविधान के अनुच्छेद 15(4) के अनुसार है। हम उच्च न्यायालय द्वारा दिये गए कारणों से सहमत नहीं है कि उक्त सरकारी आदेश से संविधान के अनुच्छेद 15(4) का उल्लंघन हुआ है।

निर्णय

(1) हालांकि इस संबंध में पिछड़े वर्गों की जिस सूची का विरोध किया गया है उसे प्रत्यक्षतः ''जाति'' पर आधारित माना जा सकता है, फिर भी उसे सूक्ष्मता से देखने पर यह पता चलेगा कि उसमें केवल आयोग द्वारा उल्लेख किये गए व्यवसायों और पेशों के करने वाले ग्रुपों का ही वर्णन है। इस धारणा के बावजूद कि सूची केवल जाति पर आधारित है, आयोग को प्रस्तुत तथ्यों से यह स्पष्ट है कि समूची जाति सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी हुई है। आयोग द्वारा सूचीबद्ध किये गए समुदाय उन विभिन्न कसौटियों पर खरे उतरे हैं जो किसी वर्ग के सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा होने के संबंध में अभिनिश्चय करने के लिये न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई है।

(2) कुल 43% आरक्षण को अधिक नहीं समझा गया। यह बालाजी के मामले द्वारा निर्धारित की गई 50% सीमा के अन्दर था।

पिछड़ा होने के संबंध में अभिनिश्चय करने के लिये जाति प्रमुख कसौटी नहीं हो सकती, तो उच्च न्यायालय ने यह कहा कि पिछड़े हुए हिन्दुओं के वर्ग का निर्धारण करने के लिये जाति एक मुख्य आधार है और सरकार को चाहिए कि यह जाति को भी एक कसौटी के रूप में स्वीकार करे। चूंकि उच्च न्यायालय द्वारा किये गए उक्त प्रेक्षणों से उस संबंधित प्राधिकारी के मस्तिष्क में कुछ भ्रांति पैदा हो सकती है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 15(4) के आशय के अंतर्गत नागरिकों के वर्गों के पिछड़े होने के संबंध में अभिनिश्चिय करने के लिये नियम निर्धारित करने का काम सौंपा जाए, अतः हम शीघ्र हीं यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जाति किसी वर्ग के पिछड़ा होने के बारे में अभिनिश्चय करने का केवल संगत तथ्य है और इस न्यायालय के निर्णय में ऐसी कोई बात नहीं है जो संबंधित प्राधिकारी को नागरिकों के किसी समुदाय के सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा होने के बारे में निर्धारित करने से रोकती हो, यदि वह जाति के आधार के बिना ऐसा कर सकता हो। हालांकि इस न्यायालय ने नागरिकों के किसी वर्ग के पिछड़ा होने के संबंध में अभिनिश्चय करने की कसौटी से जाति को अपवर्जित नहीं किया गया है, फिर भी उसने किसी वर्ग के पिछड़ा होने से बारे में अभिनिश्चिय करने के आधार के लिये जाति को एक अप्रतिरोध्य तथ्य नहीं माना है। व्यक्तियों के किसी ग्रुप के पिछड़ा होने के बारे में अभिनिश्चय करते समय संबंधित प्राधिकारी जाति को ध्यान में रख सकता है, किन्तु यदि वह ऐसा न करे और यदि वह व्यक्तियों के किसी ग्रुप के पिछड़ा होने के बारे में किसी संगत मानदंड के आधार पर अभिनिश्चिय करता है तो इस कारण से उसकी पद्धति अमान्य नहीं होगी।

16. भारत के संविधान में यह वचन दिया गया है कि सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया जाएगा और समान प्रतिष्ठा और समान अवसर दिया जाएगा । अनुच्छेद 46 के अनुसार, जो कि भाग iv के अनुच्छेदों में से एक है और जिसका शीर्षक है "राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत" राज्य समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिये विशेष ध्यान देगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषणों से उनकी रक्षा करेगा । अनुच्छेद 341 के अनुसार ''किसी राज्य या संघ शासित क्षेत्र के संबंध में राष्ट्रपति और जहां यह कोई राज्य हो, वहां उसके राज्यपाल के परामर्श से सरकारी अधिसूचना द्वारा जातियों, प्रजातियों या जनजातियों के अंदर उनके भागों या उनके समुदायों का उल्लेख करें जिन्हें संविधान के प्रयोजन के लिये यथा स्थिति उस राज्य या संघ शासित क्षेत्र के संदर्भ में अनुसूचित जातियां माना जाएगा।''

19. उन उपबंधों के अनुसार हमारे देश में पिछड़े वर्गों का वास्तविक अस्तित्व स्वीकार किया गया है जिसके ऐतिहासिक कारण हैं और समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण को प्रोत्साहन देने के लिये वास्तविक प्रयास किया गया है। उनकी इस प्रकार व्याख्या की जाएगी ताकि उक्त नीति को

कार्यान्वित किया जा सके किन्तु हमारे समाज के प्रगतिशील वर्गों को जिस जाति के वे हैं उस जाति के मिथ्या भेद के अनुसार लाभ देने के लिये नहीं। अनुच्छेद 15(4) में ध्यान दिए जाने वाली मुख्य बात यह है कि उसमें जातियों की चर्चा नहीं की गई है बल्कि वर्गों की चर्चा की गई है। यदि संविधान निर्माताओं का जातियों को भी सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी इकाइयों के रूप में रखने का इरादा था तो उन्होनें ऐसा कहा होता, जैसा कि उन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मामले में कहा है। हालांकि यह सुझाव दिया जा सकता है कि अनुच्छेद 15 के खंड (4) में 'वर्ग' को व्यापक अर्थ में अभिव्यक्त किया गया है क्योंकि उसके अंतर्गत बिना जातियों के समुदाय आते हैं, यदि वर्गों को जातियों के बराबर मानने का इरादा था तो संविधान के निर्माताओं के सामने ''पिछड़े वर्ग या जातियां'' अभिव्यक्ति का प्रयोग करने में कोई रुकावट नहीं थी। अनुच्छेद 15(4) में '' पिछड़े वर्ग'' और ''अनुसूचित जातियां'' अभिव्यक्ति के सन्निधान से भी यह निष्कर्ष उचित रूप से निकलता है कि 'वर्ग' अभिव्यकित जाति की समानार्थक नहीं है। यह अभिनिश्चिय करने के लिये कि अमुक नागरिक या नागरिकों का कोई ग्रुप पिछड़े वर्ग का है या नहीं, उसकी या उनकी जाति की किसी हद तक संबद्धता हो सकती है किन्तु यह अभिनिश्चय करने के लिये कि वह या वे किस वर्ग से सम्बद्ध हैं, जाति एकमात्र या प्रमुख मानदण्ड नहीं हो सकती।

20. इस व्याख्या से संविधान का वह आशय पूरा होगा जो उक्त अनुच्छेदों में व्याक्त किया गया है। इससे उन व्यक्तियों या ग्रुपों के हितों को प्रोत्साहन देने के बजाए, जो वस्तुतः किसी ऐसी जाति के तो हैं जिसके अधिकांश व्यक्ति सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, किन्तु वास्तव में उन वर्गों से सम्बद्ध हैं जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से प्रगतिशील है, वास्तव में पिछड़े हुए लोगों के हितों को प्रोत्साहन देने में सहायता मिलेगी। उदाहरण के लिये किसी राज्य की ऐसी जाति ले जिसके सदस्यों की संख्या उस राज्य में सर्वाधिक हो। उस जाति के अधिकांश व्यक्ति सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े होने पर भी उस जाति से प्रभावी अल्पसंख्यक व्यक्ति अन्य ऐसी छोटी उप-जाति की अपेक्षा सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से अधिक प्रगतिशील हो सकते हैं जिसके व्यक्तियों की संख्या उक्त अल्पसंख्यक व्यक्तियों से काफी कम है। यदि हम ''वर्ग'' और ''जाति'' अभिव्यक्ति की व्याख्या करें तो उससे संविधान का उद्देश्य विफल हो जायेगा और जो लोग आनुषंगिक सहायता के पात्र नहीं है वे लोग उन लोगों को अलग करके, जो वस्तुतः उसके पात्र हैं, वह सहायता प्राप्त कर लेंगे। यह अभिनिश्चय करने के लिये कि अमुक व्यक्ति पिछड़े वर्ग का है या नहीं, जाति को वर्ग के बराबर न मानकर, यदि जाति को मात्र एक आधार माना जाए तो यह असंगति उत्पन्न नहीं होगी। दूसरी ओर, यदि समूची उप-जाति कुल मिलाकर पिछड़ी हुई है, तो उसे संविधान में निर्धारित की गई उचित प्रक्रिया के अनुसार अनुसूचित जातियों में शामिल किया जा सकता है।

21. हमारा इरादा कोई ऐसा कठोर नियम निर्धारित करने का नहीं है जिसका कि सरकार पालन करे। किसी वर्ग के सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा होने के बारे में अभिनिश्चय करने के लिये मानदण्ड निर्धारित करना एक जटिल समस्या है जो कई परिस्थितियों पर निर्भर करती है और ये परिस्थितियां राज्य- दर-राज्य और यहां तक कि एक ही राज्य में स्थान-दर-ब्याज स्थान अलग-अलग होती है। किन्तु जिस बात पर हम जोर देना चाहते हैं वह यह है कि ''वर्ग'' को किसी भी स्थिति में ''जाति'' के बराबर नहीं माना जा सकता, हालांकि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी ग्रुप की जाति को, उसे विशेष वर्ग के अंर्तगत रखते समय अन्य संगत कारणों के साथ-साथ ध्यान में रखा जा सकता है। हम यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यदि किसी दी गई स्थिति में, संविधान के अनुच्छेद 15(4) के आशय के अंतर्गत किसी वर्ग के बारे में अभिनिश्चिय करते समय जाति पर ध्यान न दिया जाये, तो वर्गीकरण अमान्य होगा, यदि वह वर्गीकरण अन्य कसौटियों पर पूरा उतरता हो।

न्यायमूर्ति मुधोलकर(अन्य मामलों के संबंध में अल्पसंख्यक के बारे में राय)।

43. मैं इस मामले में उस प्रश्न पर अपनी कोई राय देना आवश्यक नहीं समझता और इसे आगे के लिये छोड़ता हूं। इसी प्रकार मैं ऐसे अन्य मुद्दों पर भी अपनी राय नहीं देना चाहता जिन पर उसने स्वयं सोचा-समझा है। किन्तु जो वर्ग सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं उनके बारे में निश्चय करते समय जाति को ध्यान में रखे जाने की संगति का जो प्रश्न है उसके संबंध में मैं केवल यही कहूंगा कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के बारे में अभिनिश्चिय करने के लिये व्यक्तियों की जातियों को ध्यान में रखना अनुच्छेद 15 के खंड (1) या अनुच्छेद 29 के खंड (2) के अनुसार आवश्यक नहीं है। यह सही है कि अनुच्छेद 15 के खंड (4) में एक सर्वोपरि खंड है जिसके कारण अनुच्छेद 15 के खंड (1) और अनुच्छेद 29 के खंड (2) के उपबंधों के बावजूद उस खंड के आधार पर प्रदत्त शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। किन्तु उससे यह निष्कर्ष निकालना न्यायसंगत नहीं है कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े समुदायों के बारे में निश्चय करते समय जातियों की कोई संगति है। मेरे विद्वान बन्धु ने ठीक ही कहा है कि संविधान के खण्ड (4) में अभिव्यक्ति ''वर्गों'' का प्रयोग किया गया है''जातियों''का नहीं ।

(1) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा होने के बारे में निश्चय करने के लिये ''जाति'' एक संगत आधार है;

(2) 'जाति' और'वर्ग' समानार्थक नहीं हैं।